(c) The development of Border Roads in Rajasthan has been by and large proceeding according to schedule, though it was some what retarded during 1979-80 mainly for the following reasons:

(i) acute shortage of diesel and coal which hindered the supply of road construction materials; and

(ii) delayed handing over of five roads by the State Government to the Border Roads Organisation.

छोटे ट्रैक्टर का निर्माण करने वाले कारखाने

1176. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने कितने हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या ये कारखाने छोटे कारखानों की मांग पूरी कर रहे है, और

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार का विचार छोटे ट्रैक्टरों का निर्यात करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में इस समय 5 एकक हैं जो 30 अ० श० से कम के ट्रैक्टरों का उत्पादन कर रहे हैं ; इन एककों द्वारा इस रेंज में 1978–79 तथा 1979–80 में ट्रैक्टरों का उत्पादन क्रमश: 14,596 तथा 16,199 नग रहा । चंकि छोटे ट्रैक्टरों की बहुत कुछ मांग देशी उत्पादन से पूरी की जा रही है, इसलिए छोटे ट्रैक्टरों के आयात का सरकार का कोई प्रस्ताव नही है ।

साम्प्रदायिक दंगे

1177. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास के दौरान देश में कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए ;

(ग) क्या सरकार ने उन दंगों के कारणों का पता लगा लिया है और उनके लिए कौन लोग दोषी पाए गए और उन व्यक्तियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण और साम्प्रदायिक दंगों की रोक-थाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) 1–12–1979 से 31–5–1980 तक की अवधि में देश में 223 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई ।

(ख) इन घटनाओं में 56 व्यक्ति मारे गए और 1114 घायल हुए ।

(ग) इनमें से अधिकांश घटनाओं का कारण साधारण झगड़ा था । किन्तु उनमें से कुछ घटनाएं छेड़खानी तथा जमीन के झगड़ों के कारण घटी थी । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की गई ।

(घ) अप्रैल, 1980 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रो के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था । उसके बाद उसी महीने राज्यपालो तथा मुख्य-मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । पहले सम्मेलन में किए गए और सामान्यत: दूसरे सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय' निष्कर्षों का एक विवरण इस सदन में दिनांक 11–6–80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में संलग्न किया गया था जिसकी एक प्रति सहज संदर्भ के लिए संलग्न है ।

विवरण

(1) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिये प्रयोग किये जाएं ।

(2) धार्मिक जुलूसों के मार्गों पर विवाद का पूर्वानुमान लगाया जाए और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय लिया जाए ।

(3) धार्मिक संस्थाओं से संबंधित भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में न्यायालयों के निर्णय तुरन्त प्राप्त किए जाएं ।

(4) दंडात्मक जुर्मानों से संबंधित कानूनों के प्रयोग की बार-बार आवृति की आवश्यकता है जहां

पर ऐसे जुर्माने करने के लिये व्यवस्था विद्यमान है, यदि नहीं तो राज्य इस विषय पर कानून बनाए, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए ।

(5) अल्पसंख्यकों को सतर्कता स्थापनाओं समेत पुलिस बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

(6) गंभीर सामुदायिक और जाति स्थितियों से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों अनु० जा० तथा अनुसूचित जन जाति के बहुत अधिक संयोजन से राज्य में सशस्त्र पुलिस की कुछ यूनिटें गठित की जाएं ।

(7) साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं की देखभाल करने और प्रबोधन करने के लिये प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों की विशेष शाखा में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए ।

(8) शान्ति को बढ़ावा देने वाली समितियां सक्रिय होनी चाहिएं और उन्हें बार बार बैठक करनी चाहिये न कि केवल किसी दंगे के पश्चात ।

(9) साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों का तीव्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए ।

(10) साम्प्रदायिक प्रेसों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उत्तेजक लेखों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अधीन तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही की जाए ।

(11) साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों को वापस नहीं लिया जाए ।

(12) औद्योगिक क्षेत्र जिनमें अन्तर-सम्प्रदाय दंगों की प्रवृत्ति है अथवा इनकी संभावना है के लिये जिला स्तर पर त्रिदलीय समिति गठित की जाए । इन समितियों में सरकार नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये ।

(13) पूजा के स्थान बैठकें करने के लिये प्रयोग नहीं किये जाने चाहिए जिनसे साम्प्रदायिक कटुता और द्वेष उत्पन्न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।

(14) विभिन्न समुदायों विशेषतौर से हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल जोल और उनमें आपस में एक दूसरे के लिये धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा देकर आरंभ से अर्थात गांव तथा मोहल्ला स्तरों पर धार्मिक और साम्प्रदायिक मैत्री को बढ़ाने के लिये प्रयास किए जाएं ।

(15) राजनैतिक दलों के लिये एक आचार संहिता तैयार की जाए और दलों के नेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अनुयायी जातियों और समुदायों के बीच वर्तमान भेदभावों को बिगाड़ने अथवा आपसी घृणा उत्पादन करने के लिये कुछ न करें ।

Setting up of Industrial Units in Backward Districts of Gujarat

1178. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) number of industrial units set up in backward districts of Gujarat—district-wise and concessions given under area oriented programme therein;

(b) number of new proposals for opening new units under consideration;

(c) number of already trained and under-training rural youths for self-employment (TRYSEM) programme in Gujarat district-wise; and

(d) number of Harijans and Adivasis so far in Gujarat who were given benefit under institution-sector oriented programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). 10 districts namely, Amreli, Banaskantha, Bhavnagar, Broach, Junagadh, Kutch, Mehsana, Panchmahals, Sabarkantha and Surendernagar have been identified as industrially backward areas in the Gujarat State. In these districts, under the DIC programme for the periods 1978-79 and 1979-80, 9502 industrial units have come up.

During the period 1975—79, 59 Industrial Licences and 134 Letters of Intent were issued for setting up Industries.